राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन / Khanij Bhawan, उदयपुर / Udaipur-313001.
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: (0294)-2410526

क्रमांक:निखाभू / प्रधान / विविध / 2011 / 2262 दिनाक 23-12-11

-: परिपत्र :-

प्रायः यह देखा गया है कि प्रधान खनिज के खनन पट्टे एंव पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्रों के निस्तारण के संदर्भ में खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता आवेदकों को समय पर नोटिस जारी नहीं करते है एंव नोटिस जो जारी किये जाते है उसमें भी सभी कमियों को एक साथ नहीं दर्शाते है जिससे आवेदन पत्रों के निस्तारण में काफी विलम्ब होता है । अतः सभी खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ताओं को निर्देश दिये जाते है कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होते ही 7 दिवस में आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों की पूर्ति करने हेतु स्पष्ट नोटिस जारी करें । पूर्व के प्राप्त आवेदन पत्रों में यदि अभी तक स्पष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है तो अब भी नोटिस जारी कर शासन द्वारा दिनांक 1-1-12 से 29-2-12 चलाए जाने वाले अभियान अवधि में आवेदन पत्रों का निस्तारण करावें ।

आवेदन पत्रों के निस्तारण में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए कार्यवाही करावें ।

1-यदि आवेदित क्षेत्र अरावली में आता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नये खनन पट्टे / पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किये जाने है ,अतः केवल इस आशय का नोटिस जारी कर खनन पट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र अस्वीकृत करने की कार्यवाही की जावे अथवा सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव पढ़ाये जावे ।

2- यदि आवेदित क्षैत्र पूर्व में स्वीकृत एंव धृत खनन पट्टो से विरोधित होता है अथवा विभागीय पूर्वेक्षण हेतु आरक्षित क्षैत्र से विरोधित होता है अथवा प्रिमेच्योर श्रेणी में आता है तो इस आशय का नोटिस जारी कर कि आवेदित क्षैत्र रिक्त नहीं है ,आवेदन पत्र अस्वीकृति के प्रस्ताव पढ़ाये जावे ।

3- यदि एक ही तिथि को एक ही क्षैत्र पर दो या दो से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है एंव आवेदित क्षैत्र स्वीकृति हेतु रिक्त है तथा अरावली में नहीं आता है तो एम.एम.आर.डी. एक्ट 1957 की धारा 11(3) के तहत प्राथमिकता का नोटिस जारी कर प्रस्ताव पढ़ाये जावे ।

4- यदि आवेदित क्षैत्र स्वीकृति हेतु रिक्त है तो आवेदक को आवेदित क्षैत्र का सीमांकन पटवारी की उपस्थिति में कराने हेतु नोटिस जारी किया जावे एंव यदि आवेदित क्षैत्र में चारागाह भूमि आती है तो राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया जावे । खातेदारी भूमि आती है तो संबधित खातेदार से सहमति प्राप्त कर शपथ पत्र प्ररतुत करने हेतु नोटिस जारी किया जावे ।

उपरोक्त की पालना नहीं करने पर अस्वीकृति के प्रस्ताव पढ़ाये जावे एंव पालना पूर्ण होने पर स्वीकृति के प्रस्ताव पढ़ाये जावे । इस अनुसार सभी लंबित आवेदन पत्रों में शीघ्र कार्यवाही कर राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान अवधि में सभी आवेदनपत्रों का निस्तारण करने की कार्यवाही करावें अन्यथा आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अपनायी जावेगी तथा राज्य सरकार द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार सूचना प्रत्येक 15 दिवस में निदेशालय को एंव शासन को प्रेषित करावें ।

निदेशक 22/12/11.
खान एंव भू विज्ञान विभाग
राजस्थान-उदयपुर

क्रमांक - सम / 2263 से 2311 दिनांक 23/12/11

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1-अतिरिक्त निदेशक (खान) ,जयपुर / जोधपुर / उदयपुर।

3-अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / भरतपुर / कोटा / भीलवाडा।

4-खनि अभियन्ता, जयपुर / अजमेर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / बीकानेर / सिरोही / धोलपुर / सोजत / नागोर / मकराना / सीकर / अलवर / भरतपुर / आमेट / राजसमंद-प्रथम / राजसमंद द्वितीय / रामगंजमण्डी / बूंदी प्रथम / बूंदी द्वितीय / भीलवाडा / चित्तौडगढ / बिजौलिया / प्रतापगढ़ / करोली।

5-सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर / ऋषभदेव / डूंगरपुर / बांसवाड़ा / निम्बाहेड़ा / गोटन / टोंक / जालोर / कोटपुतली / जैसलमेर / श्रीगंगानगर / बाड़मेर / बालेसर / झालावाड।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.ग)